न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 33/2019

निर्णय दिनांक :– 23-10-2019

रेवन्तनाथ पुत्र रामनाथ जाति सिद्व निवासी ग्राम बलरामपुर तहसील रतनगढ
... वादी

बनाम

1. रामूराम पुत्र मघाराम जाति भाट निवासी ग्राम लाछड़सर तहसील रतनगढ जिला
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रतनगढ़।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभि. वादी
2. श्री महिपालसिंह अभि. प्रति. सं. 1
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 13.6.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी के दो खेत ख.नं. 163 तादादी 5.7921 हैक्टयर, ख.नं. 984 तादादी 6.6520 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4441 हैक्टयर रोही ग्राम लाछड़सर तहसील रतनगढ में स्थित है। संयुक्त खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 रामूराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अकिंत चला आ रहा है। वर्षो पूर्व मौखिक विभाजन के अनुसार ख.नं. 984 वादी एवं ख.नं. 163

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आ गया तथा उसीके अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज चले आ रहे है। दोनो ने अपने हिस्से में टयूववेल बना रखे है तथा बारहमासी ढाणी बना रखी है। ख.नं. 984 गांव के अगूणी तरफ तथा ख.नं. 163 गावं के उतरादी तरफ स्थित है। वादी अपने हिस्से में आये ख.नं. 984 की भूमि को हिस्से में रखवाते हुए खाता व लगान अलग करवाना चाहता है। दिनांक 7.6.2019 को आपसी सहमति से विभाजन करवाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गया। यही दावे का हेतुक है।

3. वादगत भूमि ग्राम लाछड़सर तहसील रतनगढ में स्थित है। जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। विभाजन का दावा होने के कारण राज्य सरकार को प्रतिवादी सं. 2 बनाया गया है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादगत भूमि ख.नं. 163 व 984 कुल तादादी 12.4441 हैक्टयर रोही ग्राम लाछड़सर तहसील रतनगढ का विभाजन कर वादी के हिस्से में ख.नं. 984 की भूमि रखी जाकर खाता व लगान अलग कायम किया जावे।

4. वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दिनांक 2.9.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा पैरोकार राज प्रति. सं. 2 की ओर से कोई राज्यहित निहित नही होना जाहिर किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषकगण व पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सं. 2073–2076 के अनुसार वादगत ख.नं. 163 तादादी 5.7921 व ख.नं. 984 तादादी 6.6520 कुल तादादी 12.4441 हैक्टयर भूमि रोही ग्राम लाछड़सर तहसील रतनगढ वादी रेवन्तनाथ का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 रामूराम 1/2 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिनांक 2.9.2019 को न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर वादगत भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने की इस्तदुआ की है। राजीनामा के अनुसार वादी रेवन्तनाथ के हिस्से में खेत ख.नं. 984 तादादी 6.6520 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 1 रामूराम के हिस्से में खेत ख.नं. 163 तादादी 5.7921 हैक्टयर भूमि रोही ग्राम लाछड़सर रखी गई है। वादी की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999(2) डीएनजे पेज 594 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

23.10.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के अनुसार निर्णय नही कर गुणावगुण पर किये गये निर्णय को निरस्त करते हुए राजीनामा के अनुसार निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 में भी यह निर्देशित है कि विभाजन के वाद के दौरान सह काश्तकारों में कोई ईकरार हो जाता है तो उसके अनुसार दावा डिक्रीगत किया जावेगा। न्यायिक दृष्टान्त 1989 आर.आर.डी. पेज सं. 547 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विभाजन के वाद में पक्षकारान में बंटवारे के बाबत राजीनामा हो जाता है तो विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने की आवश्यकता नही है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 के मध्यनजर हस्तगत प्रकरण में सहखातेदारों के मध्य राजीनामा होकर ख.नं. 984 वादी के हिस्से में तथा ख.नं. 163 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रखे जाने व खाता व लगान विभाजन बाबत पेश होकर तस्दीक हो चुका है। जिसके अनुसार खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है। अतः दावा राजीनामा के अनुसार अतिंम रूप से डिक्री योग्य है।

आदेश

दावा वादी बरूवे राजीनामा अतिंम रूप से डिक्री किया जाकर ख.नं. 163 व 984 कुल तादादी 12.4441 हैक्टयर भूमि रोही ग्राम लाछड़सर तहसील रतनगढ के संयुक्त खाता व लगान का विभाजन करते हुए ख.नं. 984 तादादी 6.6520 हैक्टयर भूमि वादी रेवन्तनाथ व ख.नं. 163 तादादी 5.7921 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामूराम के हिस्से में रखी जाती है। प्रतिवादी सं. 2 मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में अकंन करें। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगें। तदनुसार अतिंम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-10-2019 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

23.10.19

(डॉ. गौरव सैनी)

उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी

रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Judl./Crim
Part- IV-10

अंतिम डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'- 1)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़

इजलास डॉ गौरव सैनी I.A.S.

रेवन्तनाथ बनाम रामुराम आदि

दावा बाबत धारा 53 भू.रा. अधि. 1955

मुकदमा नं. 33 सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया मिनजानिब मुद्दई व श्री महिपालसिंह व पंवार मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी व रनवे राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खसरा 163 व 984 कुल तादादी 12.4541 हेक्टेयर भूमि रोही ग्राम लाढ़सर तहसील रतनगढ़ के संयुक्त खाते व खाता का विभाजन करते हुए खसरा 984 तादादी 6.6520 हेक्टेयर उदि

निंज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 20 19 को जारी की गई

मुहर

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी 23.10.19

ओहदा रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	......			स्टाम्प वकालतनामा	......		
स्टाम्प वकालतनामा	......			स्टाम्प अर्जी	......		
स्टाम्प वजह सबूत	......			महनताना वकील	......		
महनताना वकील	......			खर्चा गवाहान	......		
खर्चा गवाहान	......			फीस कमिश्नर	......		
फीस कमिश्नर	......			बाबत इजराय हुक्मनामा	......		
बाबत इजराय हुक्मनामा	......			मुतफर्रिक	......		
मुतफर्रिक	......				......		
मीजान......				मीजान......	......		

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

वादी रेवन्तनाथ व ख०न० 163 तादादी 5-7921 हैक्टयर अधि प्रतिवादी सं० 1 रामूराम के हिस्से में रखी जाती है। प्रतिवादी सं० 2 मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अंकन करेगा। स्वयं पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Ssaini 23.10.19

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.05 15:38:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: